बुविप्रा
# कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

## भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र

सेवा में,

श्री आबिद अली पुत्र स्व0 श्री हुसैन द्वारा
मै0 साईं फारच्यून डवलपर्स प्रा0लि0
निवासी–ए–95, स्वास्थ्य विहार,
नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा खाता सं0 1180, कोठी नं0– 01 व 02 सराय कुडिया, स्टेशन रोड, बुलन्दशहर स्थित क्षेत्रफल–5482.45 वर्ग मी0 पर पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं0 106/14 में संशोधन हेतु दिनांक 12.02.16 को प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में प्रस्तावित क्रिया की अनुमन्यता विषयक समिति की संस्तुति उपरान्त प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.16 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है। समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू–अर्जन/नूजल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेद्वारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उनके भाग किसी सार्वजनिक भूमि या अन्य के स्वामित्तव की भूमि की ओर न खुले।
5. निर्माण करते समय निर्माण सामग्री से यातायात एवं जल निकासी प्रभावित न हो इसका पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
6. निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. यदि भविष्य में विकास/सुधार व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
8. लो एवं मध्यम वोल्टेज विधुत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः 2.50 मी0 एवं 1.20 मी0 और हाई वोलटेज लाइन 33000 किलोवाट तक विधुत लाइन से निर्माण की दूरी उर्ध्वावार/क्षैतिज क्रमशः 3.70 मी0 एवं 2 मी0 होगी।
9. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय जांच की जा सकें।
10. निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
11. भूखण्ड में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. भवन में सोलर वाटर हिटिंग सयन्त्र एवं सोलर पैनल की स्थापना करनी होंगी।
13. भूखण्ड पर नियमानुसार वृक्ष लगाने होंगे।
14. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का पालन करना होगा। स्ट्रकच्रल सुरक्षा से सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्माणकर्ता को मानचित्र निर्गत होने के एक माह/निर्माण कार्य करने से पूर्व अर्ह स्ट्रकच्रल इंजिनियर के हस्ताक्षर युक्त स्ट्रकच्रल ड्राईग एवं प्रमाण पत्र परिशिष्ट 8 एवं 10 पर प्रस्तुत करना होगा।
15. स्वीकृत मानचित्र के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का विचलन, परिवर्तन/परिवर्धन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों का पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
17. बेसमेंट से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी।
18. अवशेष लेबर सैस (उपरकर) के मद में देय धनराशि रू0 8,52,251.00 प्रोजेक्ट अवधि तक पॉच वर्ष की समान छमाही किश्तों में जमा कराना होगा।
19. मल्टीप्लेक्स हेतु उ0प्र0 चलचित्र नियमावली 1951 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा उ0प्र0 चलचित्र निगम से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

# कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

20. सक्षम स्तर से विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी/प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं0 106/2014 में मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति प्राप्त थी। संशोधित प्रस्ताव के अनुरूप मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एक माह/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
22. प्रस्तावित मानचित्र में व्यवसायिक/मल्टीप्लेक्स क्रिया एवं आवासीय क्रिंया को पृथक रूप से मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
23. भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

इस स्वीकृति पत्र की क्रम सं0 1 से 23 तक अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्न स्वीकृति मानचित्र सैट

कार्यालय मुहरः

कार्यालय की सं0 5114

दिनांक 18/5/16

उपाध्यक्ष

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण,

बुलन्दशहर